पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

मिशन शक्ति 5.0

दिनांक- 25.09.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0-एंटी रोमियो टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान

दिनांक 25.09.2025 पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ महोदय श्री अमरेंन्द्र कुमार सेंगर द्वारा मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत जनपदीय पुलिस को सक्रिय भागीदारी कर महिलाओं को जागरुक करने, उनके सशक्तिकरण एवम् सुरक्षा हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में **मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0** के तहत महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठायें जा रहे हैं।

उक्त दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में समस्त थानों पर गठित **महिला सुरक्षा दलों द्वारा** अपने अपने क्षेत्रों/बीट आदि में जाकर उनमें पड़ने वाले विद्यालयों/कस्बों/ग्रामों आदि जाकर जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में आज दिनांक 25.09.2025 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ महोदय के निर्देशन मे मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के तहत जनपदीय एंटी रोमियो पुलिस टीम द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ अंतर्गत धार्मिक स्थलों/कोचिंग सेंटरो/पार्क/विद्यालयों के बाहर एवम् भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में निरंतर गश्त करते हुए अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों/लड़को से पूछताछ एवम् आवश्यकतानुसार चेतावनी दी जा रही।

एवम् बालिकाओ/महिलाओं को चौपाल, नुक्कड़ नाटक और सेमिनार के माध्यम से उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरुक करने का प्रयास किया जा रहा है तथा साइबर अपराधों, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर-स्टॉकिंग, से बचने के तरीकों के बारे में भी जानकारी।

साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारें में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारें में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया।

साथ ही जनपदीय पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जघन्य अपराधों के अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है तथा लम्बित प्रकरणों में जांच को तेज़ी से पूरा करके कोर्ट में प्रभावी तरीके से पेश किया जा रहा है ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके।

मिशन शक्ति टीमों ने राजकीय छोटी जुबली बालिक इण्टर कालेज नबी उल्ला रोड वजीरगंज, कन्या इंटर कॉलेज कस्वा काकोरी, शिया पीजी इण्टर कॉलेज विक्ट्रोरिया स्ट्रीट(चौक), प्राथमिक विद्यालय अर्जुनगंज कैण्ट, सुन्नी इण्टर कालेज (बाजारखाला) सहित **चौक के नक्खास मार्केट, अमीनाबाद बाजार, शॉपिंग माल, होटल लिली विलास, स्कूलों व अन्य ग्राम/कस्बों/मोहल्लों आदि में जाकर ग्राम चौपालों का आयोजन किया गया** एवम् वहां उपस्थित महिलाओं को उनके आत्मसम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता न करनें, उनके अधिकारों के विषय में एवम् उनके सहयोग हेतु चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गयी। सुविधा हेतु पैंपलेट्स वितरण कर लिखे नंबरो को याद रखने की आवश्यकता एवम् उपलब्ध करायी जाने वाली तत्काल सहायता के विषय में बताया गया।

साथ ही समस्त थानों की पुलिस टीमो द्वारा धार्मिक स्थलों/कोचिंग सेंटरो/पार्क/विद्यालयों के बाहर एवम् भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अनावश्यक रूप से घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों/लड़को से पूछताछ एवम् आवश्यकतानुसार चेतावनी दी जा रही है। मिशन शक्ति 5.0 में जनपदीय पुलिस का लक्ष्य सिर्फ अपराधों को रोकना नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहाँ महिलाएं खुद को सुरक्षित और सशक्त महसूस करें और समाज में बराबरी से योगदान दे सकें।

वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति: विभिन्न स्थानों पर आयोजन:

- जागरूकता कार्यक्रम शहर के कई शैक्षणिक संस्थानों जैसे सुन्नी इंटर कॉलेज (बाजारखाला), राजकीय छोटी जुबली बालिका इंटर कॉलेज, शिया पीजी इंटर कॉलेज (चौक), और लालबाग गर्ल्स कॉलेज (कैसरबाग) के साथ-साथ कुछ थानों और हॉल में आयोजित किए गए।
- इन कार्यक्रमों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों (दक्षिणी, मध्य, पश्चिमी,) के पुलिस उपायुक्त (DCP), अपर पुलिस उपायुक्त (ADCP), और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) जैसे अधिकारी शामिल हुए। इनमें श्रीमती ममता रानी चौधरी, श्री निपुण अग्रवाल, श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री विश्वजीत श्रीवास्तव, श्री धनंजय कुशवाहा, और सुश्री अनुष्का, श्री रत्नेश सिंह के नाम शामिल हैं।

पुलिस उपायुक्त, महिला एवं अपराध श्रीमती ममता रानी चौधरी महोदया ने जागरूकता कार्यक्रम में बताया कि **"मिशन शक्ति फेज फाइव के विशेष अभियान के अंतर्गत प्रत्येक थाने में स्थापित महिला सुरक्षा केन्द्र न केवल महिलाओं को विधिक सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करेगी अपितु उनकी 360 डिग्री काउंसिलिंग कर उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से सशक्त करते हुए उनके विकास एवं आर्थिक सुरक्षा हेतु निमित्त विभिन्न योजनाओं के परिप्रेक्ष में अन्य संबंधित विभागों से सामंजस्य करने में भी सहयोगी की भूमिका निभाएगी।"**

महिलाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य करते हुए कमिश्नरेट लखनऊ का पुलिस बल अराजक गतिविधियों में संलिप्त असामाजिक तत्वों के लिए कानूनी रूप से सख्त परंतु समस्त नागरिकों के लिए भयमुक्त सुरक्षित वातावरण बनाए रखने हेतु निरंतर सतर्क व सक्रिय है।

एंटी-रोमियो स्क्वाड की कार्यवाही:

एंटी-रोमियो स्क्वाड द्वारा **310 स्थानों** जिनमें मंदिर परिसर, चौराहों, मार्केट, मॉल, पार्क और भीड़-भाड़ वाले स्थानों की जांच की गई। इस दौरान **2336 व्यक्तियों** की जांच करने के बाद **876 लोगों** को चेतावनी दी गई और **41 अवांछित तत्वों** के खिलाफ निरोधात्मक कार्यवाही की गई।

स्टंट और युवा मनचलों के खिलाफ कार्रवाई:

स्टंट करने वाले और मनचले युवाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत **235 स्थानों** पर चेकिंग करते हुए **1351 वाहनों** की जांच की गई और **30 वाहनों** के चालान किए गए।

मिशन शक्ति के तहत लखनऊ पुलिस का सख्त अभियान, 1981 वाहनों की चेकिंग में किए गए 350 चालान

महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे **मिशन शक्ति** के तहत लखनऊ पुलिस ने जनपद में व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान कुल **207 स्थानों** पर चेकिंग करते हुए **1981 वाहनों** की जांच की गई।

वाहन चेकिंग में की गई कार्रवाई:

- काली फिल्म लगाने वाले 05 वाहन पाए गए, अनधिकृत हूटर का प्रयोग करने वाले 05 वाहन चिन्हित किए गए
- गलत नंबर प्लेट लगाए 40 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई
- कुल 350 वाहनों के चालान किए गए
- 02 वाहनों को जब्त किया गया

लखनऊ पुलिस का यह अभियान एक स्पष्ट संदेश देता है कि महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि एक सुरक्षित और समृद्ध समाज का निर्माण किया जा सके।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0.2363
दिनांक- 25.09.2025

मध्य जोन/थाना हजरतगंज

हजरतगंज थाना क्षेत्र में पेट्रोल चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, एक शातिर चोर का आपराधिक इतिहास

लखनऊ। श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर तथा श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्री अमित कुमार वर्मा के निर्देशन में चल रहे अपराध विरोधी अभियान के तहत **पुलिस उपायुक्त (मध्य) महोदय श्री आशीष श्रीवास्तव व** श्रीमान **अपर पुलिस उपायुक्त (मध्य)** के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान **सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज** के पर्यवेक्षण में थाना हजरतगंज की पुलिस टीम ने एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

टीम ने वाहनों का पेट्रोल पाइप काटकर पेट्रोल चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक का पहले से ही चोरी एवं लूट/स्नैचिंग जैसे मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:

दिनांक 22 सितंबर, 2025 की रात्रि को थाना हजरतगंज को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में किसी व्यक्ति द्वारा वाहन का पेट्रोल पाइप काटकर पेट्रोल चोरी किया गया है। तत्काल पहुँची पुलिस टीम ने स्थानीय नागरिकों की सहायता से दो युवकों को पकड़ा। बाद में, वादी श्री मुकदमा दर्पण, निवासी डालीबाग ऑफिसर्स कालोनी, की लिखित शिकायत पर थाना हजरतगंज में मुकदमा अंकशीर्ट 0275/2025, धारा 303(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) पंजीकृत किया गया। मामले की जाँच उपनिरीक्षक श्री बिपिन शुक्ला द्वारा की जा रही है।

अपराध का तरीका:

अभियुक्त रात के अंधेरे का फायदा उठाकर आवासीय इलाकों में सड़क किनारे खड़े वाहनों के पेट्रोल पाइप काटकर उनका पेट्रोल चुराते थे।

गिरफ्तारी एवं अभियुक्तों का विवरण:

1. **राहुल** पुत्र श्री रामू राजभर, निवासी गेट नंबर-14, राजभवन, गुलमोहर कालोनी, हजरतगंज, लखनऊ। (मूल पता: कोथ नवानगर, बलिया, उत्तर प्रदेश)।
2. **साहिल बाल्मीकि**, पुत्र श्री उमेश बाल्मीकि, निवासी 6, पार्क रोड, हैदर कैनाल, हजरतगंज, लखनऊ।
    - **आपराधिक इतिहास:**
        - मुकदमा अंकशीर्ट 0085/2022, धारा 380/411 भा.द.सं. (चोरी/गबन), थाना गौतमपल्ली।
        - मुकदमा अंकशीर्ट 34/2024, धारा 392/411 भा.द.सं. (लूट/स्नैचिंग), थाना गोमतीनगर।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:</u>

1. उपनिरीक्षक श्री आर्यन नैन, थाना हजरतगंज।
2. कांस्टेबल श्री संतोष कुमार, थाना हजरतगंज।

MEDIA

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2360
दिनांक-25.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-महिगवां

ग्राम गौरवामऊ में चोरी करने व 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर रखने वाले 01 नफर अभियुक्त को महिगवां पुलिस ने किया गिरफ्तार

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.09.2025 को वादी मुकदमा श्री मुकेश कुमार मिश्रा पुत्र स्व मस्तराम मिश्रा निवासी ग्रा0 गोरवामऊ ,पोस्ट जगदीशपुर थाना महिगवाँ जनपद लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीरी सूचना बावत दिनांक 19/20.09.2025 की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा वादी मुकदमा के घर में रखे वादी मुकदमा की पत्नी के सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 125/2025 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री नीलेन्द्र प्रताप द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

दिनांक 24.09.2025 को विवेचक उ0नि0 श्री नीलेन्द्र प्रताप मय पुलिस बल के मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये माल / मुल्जिमान की तलाश में दरियापुर चौराहे पर मौजूद थे कि मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त 01 नाजायज तमंचा लिये हुए इन्दारा से दरौना रोड़ पर किसी के इन्तजार में खड़ा है यदि जल्दी किया जाये तो मय तमंचा के पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर विश्वास कर श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय के नेतृत्व में विवेचक उपरोक्त मय पुलिस बल के मुखबिर खास के बताये स्थान पर पहुंचे तथा छिपते छिपाते सिखाये गये तरीके से मुखबिर खास द्वारा बताये गये व्यक्ति को पकड लिया। नाम पता पूछते हुये पकडे गये व्यक्ति की तलाशी ली गयी तो व्यक्ति ने अपना नाम वसीम पुत्र शहजाद निवासी ग्राम दरौना थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष बताया।

पकडे गये व्यक्ति की तलाशी ली गयी तो पहने हुए पेंट की दाहिने जेब में 2210 रु0 व बायीं जेब से 02 अदद जिन्दा कारतूस व कमर के पास एक 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ। भागने का कारण पूछा गया तो बताया कि 4 -5 दिन पहले मैने ग्राम गौरवामऊ में एक घर में घुस कर एक कुछ जेवरात सोने व चांदी के चोरी किये थे जिनको मैने राह चलते हुए अनजान आदमी को बेच दिया था जिसमें से कुछ पैसे खर्च कर दिये थे उसमें से 2210 रु0 शेष बचे है जो उसी चोरी के शेष रुपये है बरामदशुदा 12 बोर देशी तमंचा व 02 अदद कारतूस के बारे में पूछा गया तो बताया कि मैने छः माह पूर्व खरीदा था तमंचा बेचने बाले का नाम व पता पूछा तो उसने बताया कि मुझे उसका नाम पता नही पता है जिसको मै अपने बचाव में अपने पास रखता हूँ बरामदशुदा देशी 12 बोर तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस रखने का लाइसेन्स मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा।

अभियुक्त को उसके किये गये जुर्म व जुर्म धारा से अवगत कराते हुये समय करीब 23.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 25.09.2025 को अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीकाः-

अभियुक्त द्वारा रात्रि में वादी मुकदमा के घर में घुसकर जेवरात चोरी करना व 01 अदद अवैध देशी तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर रखना।

03-आपराधिक इतिहास अभियुक्त

1. वसीम पुत्र शहजाद निवासी ग्राम दरौना थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

a) मु0अ0सं0 34/2023 धारा 457/380/411 भादवि थाना इटौंजा जनपद लखनऊ
b) मु0अ0सं0 125/2025 धारा 305(a) / 317(2) बीएनएस थाना महिगवां जनपद लखनऊ
c) मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना महिगवां जनपद लखनऊ

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण / व्यवसाय—

1. वसीम पुत्र शहजाद निवासी ग्राम दरौना थाना महिगवां जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष, (व्यवसाय – मजदूरी)

05-बरामदगीः-

- **01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर।**
- **चोरी गये माल को बेचकर बचा शेष 2210 रुपये नगद।**

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रामकुमार गुप्ता थाना महिगवां
2. उ0नि0 श्री नीलेन्द्र प्रताप थाना महिगवां
3. उ0नि0 श्री शशाक शुक्ला थाना महिगवां
4. हे0का0 श्री बृजेन्द्र कुमार थाना महिगवां
5. का0 प्रदीप कुमार यादव थाना महिगवां
6. का0 लाल बहादुर थाना महिगवां

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2359
दिनांक-25.09.2025

जोन- पूर्वी/ थाना-गुडम्बा

- **एक शातिर लूटेरे/हत्यारे अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ के बाद घायलावस्था में किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से एक अदद तमंचा अवैध तमंचा, 01 अदद जिन्दा व 01 खोखा कारतूस एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल अपाची सफेद रंग बिना नम्बर, 65200/- रुपये नगद और पीली धातु की टूटी हुई चेन का टुकड़ा बरामद।**
- **अपराध शाखा लखनऊ, क्राइम टीम डीसीपी उत्तरी व पूर्वी एवं थाना गुडम्बा, जानकीपुरम की संयुक्त पुलिस टीम की कार्यवाही।**

01-घटना का सारांश (Summary of the Incident)

1. दिनांक 20.09.2025 को सुबह समय करीब 06.25 बजे चार नं0 चौराहे के पास वादी के बडे भाई अतुल जैन की स्कूटी सं0 UP32EY1334 में अज्ञात अपाचे गाड़ी के चालक द्वारा टक्कर मार देना जिससे वादी के भाई अतुल जैन का खड़े डाले सं0 UP32NN1469 में टकराने के कारण चोट आने से वादी मुकदमा के भाई अतुल कुमार जैन पुत्र विरेन्द्र कुमार जैन निवासी 647 बी / सी 083 जानकीपुरम गार्डेन थाना जानकीपुरम उम्र 42 की मृत्यु हो गयी।
2. प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तत्काल थाना गुडम्बा पर मु0अ0सं0 391/2025 धारा 281/106(1) बीएनएस वादी मुकदमा श्री आशीष कुमार जैन पुत्र श्री वीरेन्द्र कुमार जैन निवासी 647B/C-083 जानकीपुरम गार्डेन थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ द्वारा पंजीकृत कराया गया था ।
3. जांच और मुठभेड़ (Investigation and Encounter): एक संयुक्त पुलिस टीम (सीपी क्राइम टीम, डीसीपी ईस्ट/नॉर्थ टीम, थाना गुडम्बा और जानकीपुरम) ने जांच शुरू की। 25 सितंबर, 2025 को, रजौली गांव में सूचना के आधार पर, टीम ने संदिग्ध सफेद अपाचे को रोकने का प्रयास किया।
4. अपाचे पर सवार एक व्यक्ति (अरविंद कुमार) ने पुलिस पर गोली चलाई। आत्मरक्षा में, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे अरविंद कुमार घायल हो गया और गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा संदिग्ध फरार हो गया।

02- पुलिस की कार्यवाही:

- **उच्च-स्तरीय निर्देश:** इस गंभीर घटना को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने एक **संयुक्त पुलिस टीम** (थाना गुडम्बा, जानकीपुरम, DCP ईस्ट/नॉर्थ और कमिश्नरेट की क्राइम टीम) को त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश दिए।
- **तकनीकी सहायता:** टीम ने दुर्घटना स्थल के आस-पास **संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जानकारी जुटाई** और इसी के आधार पर अपराधियों तक पहुँचने का रास्ता बनाया।

निम्नलिखित मामले दर्ज हैं:

1. **थाना बी.के.टी., लखनऊ:** मुकदमा अंक 141/21, धारा 41/411/420 भा.द.वि.
2. **थाना गुडम्बा, लखनऊ:** मुकदमा अंक 391/25, धारा 103(1)/304(2)/317(2) भा.न.सं
3. **थाना बी.के.टी., लखनऊ:** मुकदमा अंक 347/25, धारा 304(2)/317(2) भा.न.सं.
4. **थाना गुडम्बा, लखनऊ:** मुकदमा अंक 399/25, धारा 109(1)/3(5) भा.न.सं. और धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम (वर्तमान मुठभेड़ के बाद पंजीकृत नया मामला)।

08-गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

क्राइम टीम CP लखनऊ	क्राइम टीम DCP EAST लखनऊ	क्राइम टीम DCP NORTH लखनऊ	थाना जानकीपुरम	थाना गुडम्बा लखनऊ
SHO श्री शिवानन्द मिश्रा SI श्री आशूतोष पाण्डेय SI श्री प्रकाश सिंह SI श्री असलम खान HC अतुल कुमार पाण्डेय HC अरूण HC हबीब खान HC इन्द्र प्रताप सिंह. HC जीत सिंह HC दिलीप C नाहर सिंह C देशराज मुखिया	SI श्री अमर नाथ चौरसिया HC संदीप पाण्डेय C शिवानन्द खरवार C प्रदीप C तरणजीत सिंह C विमल चन्द्रपाल C अजय यादव	HC अवधेश गिरी HC नदीम HC संतोष कुमार HC अमित कुमार गौतम C विशेष दुहुड़ C राघवेन्द्र प्रताप सिंह	SHO श्री विनोद कुमार तिवारी SI श्री हेमेन्द्र सिंह SI श्री अंकित कुमार C1689 सत्येन्द्र कुमार C विनोद कुमार	SHO श्री प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव SI श्री राहुल द्विवेदी SI श्री केशव झा SI श्री संदीप सिंह गौर SI हरिओम पटेल SI यशपाल सिंह SI अजय शंकर पाण्डेय HC अमित सिंह HC मो0 अकरम C रवेंन्द्र पाल सिंह C दुर्वेश C सुनील कुमार C जगपाल C सुनील यादव C रवि राणा C विकल्प C दलवीर सिंह C कृष्णा चौधरी C सर्वेश

03-जांच में तकनीकी सहायता का सारांश

पुलिस ने अपराधियों तक पहुँचने और मामले को सुलझाने के लिए उन्नत तकनीकी साधनों का व्यापक उपयोग किया:

1. **मोबाइल डेटा विश्लेषण:** दुर्घटना स्थल के आस-पास **सक्रिय हजारों मोबाइल नंबरों** की सर्विलांस (निगरानी) तकनीक की मदद से जाँच-पड़ताल की गई और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की पहचान की गई, जो अपराधियों तक पहुँचने में महत्वपूर्ण साबित हुई।
2. **सीसीटीवी फुटेज जांच:** शहर में लगे **500 से अधिक कैमरों** की फुटेज की बारीकी से जांच करके अपराधियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग और जानकारी एकत्र की गई।
3. **बहुआयामी जांच:** अंततः, **इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य** (मोबाइल डेटा, सीसीटीवी), **भौतिक साक्ष्य** और **मुखबिर से प्राप्त सूचना** के समन्वय से अपराधियों का पता चला और आरोपी अभियुक्त को एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया।

संक्षेप में: इस मामले को सुलझाने में आधुनिक तकनीकी संसाधनों, विशेष रूप से मोबाइल डेटा विश्लेषण और सीसीटीवी निगरानी ने निर्णायक भूमिका निभाई।

04-मुठभेड़ और गिरफ्तारी: 25 सितंबर, 2025 को, एक गुप्त सूचना के आधार पर रजौली गाँव में घेराबंदी करने पर दो संदिग्ध सफेद अपाचे पर आते दिखे।

- पुलिस द्वारा रोके जाने पर एक संदिग्ध ने पुलिस बल पर **गोली चला दी**।
- **आत्मरक्षा** में SI हरिओम पटेल ने जवाबी फायरिंग की, जिससे अपाचे पर पीछे बैठा व्यक्ति (अरविंद कुमार) **घायल होकर गिरा** और गिरफ्तार कर लिया गया।
- अपाचे का चालक अंधेरे का फायदा उठाकर **फरार** हो गया।

05-बरामदगी (Recoveries): गिरफ्तार अभियुक्त अरविंद कुमार से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद हुईं:

- एक अवैध .315 बोर का पिस्तौल (तमंचा) और कारतूस।
- घटना में इस्तेमाल होने वाली बिना नंबर की सफेद अपाचे मोटरसाइकिल।
- नकदी 65,200 रुपये।
- सोने की धातु की एक टूटी हुई चेन का टुकड़ा।

06-पूछताछ का विवरण (Interrogation Details):

अरविंद कुमार ने कबूला कि उसने और उसके साथी संजय यादव ने 20 सितंबर को अतुल जैन की चेन छीनी थी। पकड़े जाने के डर से, उन्होंने जानबूझकर उसे गिरा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बरामद नकदी छीनी हुई चेन को बेचने से प्राप्त हिस्सा था। टूटी हुई चेन का टुकड़ा एक पुरानी चोरी की घटना से संबंधित बताया गया।

06-गिरफ्तार अभियुक्त (Arrested Accused):

- नाम: अरविंद कुमार, पिता: मैकू लाल, उम्र: ~27 वर्ष।
- पता: ग्राम पहाड़ापुर, थाना महमूदाबाद, जिला सीतापुर।

07-आपराधिक इतिहास (Criminal History):

अरविंद कुमार का एक लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें चोरी, धोखाधड़ी और हत्या जैसे मामले शामिल हैं, जो थाना बीकेटी और थाना गुडम्बा में दर्ज हैं। वर्तमान घटना के लिए एक नया मामला (मु०अ०सं० 399/25) भी दर्ज किया गया है, जिसमें हथियार अधिनियम की धाराएं भी शामिल हैं।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2361
दिनांक- 25.09.2025

जोन- उत्तरी / अलीगंज लखनऊ

01 नफर वारंटी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

01-सक्षिप्त विवरणः-

मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 3001/2023,मु0अ0सं0 379/22 धारा 392/411 भादवि थाना अलीगंज लखनऊ से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी राहुल राजपूत पुत्र स्व0 रोशन लाल निवासी बहादुरपुर निकट यूनिटी सिटी चौराहा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष को उसके निवास स्थान से समय करीब 12.10 बजे दिनांक 25.09.25 को गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का उद्देश्यः-

लूट-पाट करने के सम्बन्ध मे ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

राहुल राजपूत पुत्र स्व0 रोशन लाल निवासी बहादुरपुर निकट यूनिटी सिटी चौराहा थाना गुडम्बा जनपद लखनऊ उम्र 22 वर्ष (प्राइवेट नौकरी)

04- आपराधिक इतिहासः-

a) मु0अ0सं0 379/22 धारा 392/411 भादवि थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
b) मु0अ0सं0 382/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
c) मु0अ0सं0 448/21 धारा 379/411 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
d) मु0अ0सं0 449/21 धारा 379/411 भादवि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ
e) मु0अ0सं0 254/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ
f) मु0अ0सं0 329/17 धारा 457/380/411 भादवि थाना महानगर जनपद लखनऊ
g) मु0अ0सं0 340/22 धारा 411/413/414 भादवि थाना महानगर जनपद लखनऊ
h) मु0अ0सं0 101/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना महानगर जनपद लखनऊ

06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना अलीगंज

1. उ0नि0 श्री राजदीप चौधरी थाना अलीगंज जनपद लखनऊ
2. का0 ओमशिव चाहर थाना अलीगंज जनपद लखनऊ